संख्या- 106/2023/1379/छप्पन-2023-98/2013

प्रेषक,

कुमार हर्ष,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 29 सितम्बर, 2023

विषय: आगरा एयरपोर्ट पर नवीन सिविल ऐन्क्लेव के विकास हेतु अतिरिक्त भूमि क्रय के लिए धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 173 / आर0सी0एस0-2023-ए-4/2019 दिनांक 20 सितम्बर, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आगरा एयरपोर्ट पर नवीन सिविल ऐन्क्लेव के विकास हेतु अतिरिक्त भूमि के क्रय के लिए कुल अनुमानित धनराशि रू0 1,23,59,27,574.00 (रूपए एक अरब तेइस करोड़ उनसठ लाख सत्ताइस हजार पाँच सौ चौहत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, आगरा के निवर्तन जारी करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगरा एयरपोर्ट पर नवीन सिविल ऐन्क्लेव के विकास हेतु 37.4336 है0 (लगभग 92.50 एकड़) अतिरिक्त भूमि के क्रय के लिए कुल अनुमानित धनराशि रू0 1,23,59,27,574/- (रूपए एक अरब तेइस करोड़ उनसठ लाख सत्ताइस हजार पाँच सौ चौहत्तर मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0 1,23,59,27,574/- (रूपए एक अरब तेइस करोड़ उनसठ लाख सत्ताइस हजार पाँच सौ चौहत्तर मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिलाधिकारी, आगरा के निवर्तन पर रखे जाने हेतु अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा। जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना / स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक नागरिक उड्डयन का होगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य / मद हेतु किया जाएगा।

(5) निदेशक नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों / प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(9) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(10) वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही धनराशि के सापेक्ष यदि कोई बचत होती है, तो बचत की धनराशि जिलाधिकारी, आगरा द्वारा राजकोष में जमा कराई जाएगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 1,23,59,27,574/- (रूपए एक अरब तेइस करोड़ उनसठ लाख सत्ताइस हजार पाँच सौ चौहत्तर मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, आगरा के निर्वतन पर रखी जायेगी और जिलाधिकारी, आगरा द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- प्रश्नगत धनराशि वित्तीय वर्ष 2023 2024 के अनुदान संख्या 38 पूंजी लेखा लेखाशीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय 02 विमानपत्तन-800 अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय से वहन की जाएगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7-202/दस-2023-24, दिनांक 29 सितम्बर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
कुमार हर्ष
विशेष सचिव

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 106/2023/1379(1)/छप्पन-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार - प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार / ई0एस0-111, आडिट भवन, टीसी-35 वी-1, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ 10.

3- आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

4- जिलाधिकारी, आगरा।

5- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ / वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/राजस्व अनुभाग-13.

8- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कुमार हर्ष
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।